7-2-19 सुनवाई की गई। पत्रावली प्रार्थी अनुपस्थित। व्यवहारवाद का समय 4-30 P.M. से चुका है। विपक्षीगण की ओर से आयोग लगातार मांग पत्रावली आयोग के कोई उपस्थित नहीं हुए। विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी के अधिवक्ता की प्रस्तुत गया प्रार्थना मौजा डोल कुंजोला के आम विक्रय 63 खसरा नम्बर 791/426 रकबा 0.04 बिस्वा का बटवारा करवाना है। इसलिये प्रार्थी होकर के विपक्षीगण निर्माण कर रहे हैं। उनको आम जगह मिलीजुलकर का निर्माण का अतिक्रमण नहीं करने का आदेश पारित विपक्षीगण को आयोग निर्देश पत्र के माध्यम दिया जावे।

माननीय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत

इस्तेमाल करने की मौजा डोल कुरेशान
का निर्णय लिया जिसमें आराजी
खाता नम्बर 63 खसरा नम्बर 791/420
रकबा 8-04 बिस्वा का बयाना हुआ है
इसलिये आराजी अपने कब्जे में लेने
वाले की आराजी पर सौदा तय कर
अग्रिम निर्णय जारी करने का
अधिकारी होने के विपक्षीगण के
विरुद्ध अग्रिम निर्णय जारी हुआ
आशय की तामील तय कर मौजा
डोल कुरेशान के खाता संख्या 63 के
खसरा नम्बर 791/420 रकबा 8-04 बिस्वा
में किसी प्रकार का अतिक्रमण या
नियमित कार्य नहीं करेंगे ऐसा हुक्म
दायर करे व ऐसे अपने मिला रकबा
परिवार के इस्तेमाल व मजरूआ है वरने
आराजी के स्थान पुनर्वास कैम्प कब्जा
के काम में लाये तथा मुकदमा खर्च के
हकदार होंगे।

उपखण्ड अधिकारी
सामलवाड़ा मु. धम्बोला

Scanned by CamScanner